FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0300   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/11/2025 19:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 11/11/2025   Date To (दिनांक तक): 12/11/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 08:00 बजे   Time To (समय तक): 12:18 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/11/2025   Time (समय): 12:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004   Date & Time (दिनांक एवं समय): 14/11/2025 19:53:08 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 65 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL
   (b)Address(पता): KARALYA KANISHTH ABHIYANTA, AVVNL BASSI, TEHASIL SHREEMADHOPUR SIKAR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): NAVRATN

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAM LAKHAN SWAMI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1990 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM LISADIYA, SHREEMADHOPUR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM LISADIYA, SHREEMADHOPUR, SIKAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANDEEP DWIVEDI		पिता:GOVIND DATT	1. 17,CHOUDHARY COLONY ROAD NO. 14,V.K.I. JAIPUR,VISHWAKARMA,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,500.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 2,500.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 10.11.2025 को ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 से ईतला मिलने पर मन् एएसपी द्वारा परिवादी श्री नवरत्न स्वामी से सम्पर्क करने पर उसने आरोपी श्री संदीप द्विवेदी जेईएन बस्सी द्वारा उसके सोलर मीटर लगाने की एवज में रिश्वत की मांग करने तथा आरोपी जेईएन को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़वाने की कही तथा स्वयं के निजी कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यालय के किसी कर्मचारी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु दिनांक 11.11.2025 को बस्सी भिजवाने की कही, जिस पर मन् एएसपी द्वारा दिनांक 11.11.2025 को समय 08.00 एएम पर रिश्वत का मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री कैलाशचन्द कानि. को परिवादी श्री नवरत्न स्वामी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री नवरत्न स्वामी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन करने के निर्देश दिये जाकर रवाना किया गया। उसी दिन बाद सत्यापन समय 05.00 पीएम पर श्री कैलाशचन्द कानि. ने मन् एएसपी के समक्ष कार्यालय में उपस्थित होकर परिवादी श्री नवरत्न स्वामी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं एक्वासेल्स कम्पनी में काम करता हूं, जिसका कार्य रूफटोप सोलर पीएम सूर्यघर बिजली मुफ्त योजना के तहत लगाने का कार्य है। श्रीमाधोपुर ईलाके में गांव झरी की ढाणी, कल्याणपुरा निवासी मुकेश कुमार पुत्र श्री हरिसिंह जाति जाट के घर पर रूफटोप सोलर लगाने हेतु बाद वेरिफिकेशन जेईएन साहब बस्सी बिजली ग्रेड श्रीमाधोपुर से मीटर प्राप्त करने तथा सब्सिडी प्राप्त करने की एवज में जेईएन संदीप द्विवेदी बिजली ग्रेड बस्सी द्वारा रिश्वत के रुप में 3000 रुपये की मांग करने पर रिश्वत नहीं देकर रिश्वतखोर जेईएन के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करे। श्री कैलाशचन्द कानि. ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री हरिसिंह निवासी गांव कल्याणपुरा द्वारा श्री नवरत्न स्वामी को अधिकृत करने संबंधी अधिकार पत्र एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री नवरत्न स्वामी से सम्पर्क करते हुये मैने बस्सी पहुंच परिवादी श्री नवरत्न स्वामी से सम्पर्क किया जहां परिवादी नवरत्न स्वामी ने प्रार्थना पत्र मय अधिकार पत्र सुपुर्द किया, उसके बाद हम दोनों कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के पास पहुंचे जहां मैने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चालू कर परिवादी श्री नवरत्न स्वामी को सुपुर्द कर दिया तथा उसके जेईएन कार्यालय से वापिस आने पर डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर उसे बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। श्री कैलाशचन्द कानि. ने परिवादी श्री नवरत्न स्वामी की जरिये मोबाईल मन् एएसपी से वार्ता करवायी तो परिवादी श्री नवरत्न स्वामी ने आरोपी श्री संदीप द्विवेदी जेईएन द्वारा उसके सोलर मीटर लगाने की एवज में 2500 रुपये रिश्वत की मांग करना बताते हुये दिनांक 12.11.2025 को बस्सी पहुंचकर अग्रिम कार्यवाही करने की कही, जिस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। मन् एएसपी द्वारा डीवीआर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री संदीप द्विवेदी जेईएन द्वारा परिवादी से 2500 रुपये रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 12.11.2025 को कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग सीकर से स्वतंत्र गवाहान श्री भवानी सिंह वरिष्ठ सहायक एवं श्रीमती सरोज साकुनिया कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आने पर समय 09.15 एएम पर फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड में रखवाकर मन् एएसपी मय स्वतंत्र गवाहान श्री भवानी सिंह एवं श्रीमती सरोज साकुनिया, स्टाफ के श्री सुभाष मील पुलिस निरीक्षक, राजेन्द्र प्रसाद एचसी, श्रीमती सुनिता एचसी, श्री मनोज कुमार एचसी, श्री अशोक कुमार एचसी, श्री कैलाशचन्द कानि., श्री शीशराम कानि., श्रीमती निर्मला महिला कानि., श्री महेश कुमार एचसी, श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों के मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप मय प्रिन्टर व डीवीआर मय नया मेमोरी कार्ड को साथ लेकर एसीबी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी श्री नवरत्न स्वामी से जरिये मोबाईल सम्पर्क करते हुये श्रीमाधोपुर-रींगस सड़क पर जालपाली मोड़ पहुंचा, जहां परिवादी श्री नवरत्न स्वामी उपस्थित मिला। मन् एएसपी ने वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी श्री नवरत्न स्वामी से आवश्यक पूछताछ की तो परिवादी श्री नवरत्न स्वामी ने दिनांक 11.11.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मन् एएसपी को जरिये दूरभाष बताये गये कथनों की ताईद की। परिवादी श्री नवरत्न स्वामी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री भवानी सिंह व श्रीमती सरोज साकुनिया का आपस में परिचय करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान को श्री नवरत्न स्वामी का प्रार्थना पत्र पढकर

सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।तत्पश्चात परिवादी श्री नवरत्न स्वामी ने हिदायत देने पर आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को रिश्वत के रुप में दिये जाने वाले नोट पॉच-पॉच सौ रुपये के 05 नोट कुल 2,500 रुपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार हैः-

1. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 6 QC 178045
2. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8 VG 709912
3. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 1 DK 376788
4. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 9 GW 239700
5. एक नोट पॉच सौ रुपये का नम्बरी नम्बर 8 TU 793344

तत्पश्चात सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से निकलवाकर नोटों को एक अखबार पर बिछाकर हस्ब कायदा फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर गवाह श्री भवानी सिंह से परिवादी श्री नवरत्न स्वामी की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे 2,500 रुपयों के नोट श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री नवरत्न स्वामी के पहने हुई पैन्ट की सामने की बांयी जेब में रखवाये जाकर परिवादी को रास्ते में इन रुपयों को नहीं छुने व मिलने पर आरोपी से हाथ नहीं मिलाने एवं आरोपी से अपने काम के संबंध में बात करने तथा आरोपी द्वारा मांग किये जाने पर स्वयं की जेब में रखे पाउडर लगे रुपये निकालकर उसे देने तथा आरोपी द्वारा रिश्वत स्वीकार कर प्राप्त कर लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल फोन नम्बर से मन् एएसपी के मोबाईल फोन नम्बर पर मिस कॉल देकर ईशारा करने की हिदायत दी गई। इसके बाद प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो पानी का रंग नहीं बदला इस घोल में श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक जिसने नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया, के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल को फेंक कर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास एवं अखबार जिस पर रखकर रुपयों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था, को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईस कर मुनासिब हिदायत की गयी। कार्यालय की डीजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चत कर उक्त डीजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री संदेश कुमार कनिष्ठ सहायक को अपने साथ एसीबी चौकी सीकर ले जाने की मुनासिब हिदायत दी जाकर रवाना किया गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त मन् एएसपी मय हमराहियान पार्टी के परिवादी श्री नवरत्न स्वामी को हमराह लेकर जालपाली मोड़ से रवाना होकर समय 11.55 एएम पर कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में रुकवाकर परिवादी श्री नवरत्न स्वामी व श्री कैलाशचन्द कानि. मुनासिब हिदायत देकर पैदल-पैदल रवाना कर मन् एएसपी मय हमराहियान के वाहनों में ही परिवादी के तय ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 12.18 पीएम पर श्रीमाधोपुर-खण्डेला रोड़ पर वाहनो में मुकिम मन् एएसपी को परिवादी श्री नवरत्न स्वामी का कॉल प्राप्त होने पर मन् एएसपी मय हमराहियान के वाहनों से रवाना होकर कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में बने कनिष्ठ अभियंता कक्ष के सामने पहुँचा जहाँ परिवादी श्री नवरत्न स्वामी जो कमरे के सामने कुर्सी पर बैठा मिला जिसने डीवीआर मन् एएसपी को सुपुर्द कर अपने सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही संदीप द्विवेदी जेईएन है, जिन्होने अभी-अभी मेरे से मेरे 2,500 रुपये रिश्वत के अपने हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई पैन्ट की सामने की बाईं जेब में रखे है। जिस पर मन् एएसपी ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे अपना नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने घबराते हुये अपना नाम श्री संदीप द्विवेदी हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर होना बताते हुये अपनी पहनी हुई पैन्ट की सामने की बाईं जेब से रुपयों को निकालकर फर्स पर गिरा दिया। आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता द्वारा फर्स पर गिराये हुये रुपयों को गवाह श्री भवानी सिंह द्वारा उठवाये जाकर अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता का बायां हाथ श्री शीशराम कानि. को एवं दाहिना हाथ श्री अशोक कुमार एचसी से उसकी कलाईयों के उपर से पकड़वाये गये। आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता को परिवादी श्री नवरत्न स्वामी से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछने पर बताया कि इन्होने दिये है कनेक्शन

करवाने के लिये, मैने तो इनको मीटर दिया है मौके पर परिवादी श्री नवरत्न स्वामी ने आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि मैने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.11.2025 को इनके कार्यालय में आकर इनसे बात की तो इन्होने सोलर मीटर देने के लिये मेरे से 3000 रुपये रिश्वत के मांगे, तब मेरे द्वारा कम करने की कहने पर इन्होने 2500 रुपये देने की कही, आज इनको इनके कार्यालय में 2500 रुपये देने पर इन्होने मेरे को मीटर दे दिया। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला एचसी के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर गिलासों में साफ पानी भरवाकर थोड़ा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता के बांये हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनो हाथो के उक्त धोवन को अलग-अलग दो-दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा-आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क RH-1, RH-2 तथा बांये हाथ के धोवन को मार्क LH-1, LH-2 से सील्ड मोहर कर जप्त किया गया। प्लास्टिक के दोनों डिस्पोजल गिलासो को जलवाकर नष्ट करवाया गया।तत्पश्चात गवाह श्री भवानी सिंह के पास रखे रिश्वती राशि को गिनवाया गया जो पांच-पांच सौ रुपये के पांच नोट कुल 2500 रुपये पाये गये। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरुप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई गई फर्द बरामदगी में अंकित करवाकर बरामद शुदा कुल 2500 रुपये के नोटों को सफेद कागज पर सीलवाकर सील्ड किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता को लोवर उपलब्ध करवाकर उसकी पहनी हुई पैन्ट ससम्मान उतरवायी गयी। तत्पश्चात श्री शीशराम कानि. के दोनो हाथों एवं एक नये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साबुन व पानी से धुलवाकर गिलास में पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता की पहनी हुई पैन्ट की सामने की बांयी जेब को उलटवाकर एवं जेब में रखा छोटा रुमाल सहित धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों को साबुन व पानी से धुलवाकर उनमें आधा-आधा डलवाकर भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर मार्क PW-1 व PW -2 अंकित कर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता की पैन्ट की तलाशी लिवाई जाकर पैन्ट बरंग नीली जिन्स के सामने की बांयी जेब को उलटवाकर जेब पर व रुमाल पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पैन्ट की जेब में रुमाल रखकर पैन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क ए अंकित कर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता को परिवादी श्री नवरत्न स्वामी का सोलर मीटर ईश्यू करने के बारे में पूछा तो बताया कि विभाग द्वारा वेन्डर को मीटर दे दिया जाता है, आज मैने इनको मीटर दे दिया है आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता को परिवादी श्री नवरत्न स्वामी के सोलर लाईट से सम्बन्धित पत्रावली पेश करने की हिदायत देने पर श्री मुकेश कुमार निवासी वार्ड नं. 10, कल्याणपुरा, जयरामपुरा सीकर से संबंधित पत्रावली पेश की जिसका अवलोकन किया जाकर पत्रावली की फोटो प्रति करवाई जाकर आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता से प्रमाणित करवाकर पत्रावली के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। मूल पत्रावली सुरेन्द्र कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय सहायक अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रीमाधोपुर जिला सीकर को सुपुर्द की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध की गयी ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री मनोज कुमार एचसी से सरकारी मोबाईल फोन में SANDISK 64 GB मैमोरी कार्ड डलवाकर विडियोग्राफी करवायी गया थी। उक्त मेमोरी कार्ड में की गई विडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग से श्री मनोज कुमार एचसी के द्वारा लेपटॉप के माध्यम से दूसरा मेमोरी कार्ड SANDISK 64 GB में विडियोग्राफी को डाउनलोड किया जाकर पहले वाले मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क बी अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरे मेमोरी कार्ड को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को जरिये फर्द अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री नवरत्न द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.11.2025 को आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर से आमने-सामने हुई वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री नवरत्न एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती सुनिता एचसी से लैपटोप में जुड़वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण किया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री नवरत्न ने स्वयं की व आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मैमोरी कार्ड SanDisk 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को तीनों मैमोरी

कार्डो में कॉपी की गई। रिश्वत मांग सत्यापन में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB एवं नये तैयार किये गये एक मेमोरी कार्ड की श्रीमती सुनिता एचसी से हैश वैल्यु निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तीन मेमोरी कार्डो में से हैश वैल्यु निकाले गये एक मेमोरी कार्ड पर मार्क सी-1 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क सी अंकित किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया।
तत्पश्चात परिवादी श्री नवरत्न द्वारा दौराने रिश्वत लेनदेन दिनांक 12.11.2025 को आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर से आमने-सामने हुई वार्ता को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को परिवादी श्री नवरत्न एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्रीमती सुनिता एचसी से लैपटोप में जुड्वाकर रिकॉर्डिंग वार्ता का फर्द रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण किया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री नवरत्न ने स्वयं की व आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की आवाज होना पहचान की। तत्पश्चात तीन नये खाली मैमोरी कार्ड SanDisk 64 GB लेकर उन्हे खाली होना सुनिश्चित कर डीवीआर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को तीनो मैमोरी कार्डो में कॉपी की गई। रिश्वत लेनदेन वार्ता में प्रयोग किये गये उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB एवं नये तैयार किये गये एक मेमोरी कार्ड की श्रीमती सुनिता एचसी से हैश वैल्यु निकलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तीन मेमोरी कार्डो में से हैश वैल्यु निकाले गये, एक मेमोरी कार्ड पर मार्क डी-1 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसे एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड SanDisk 64 GB को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डी अंकित किया गया। शेष दो मेमोरी कार्डो को आरोपी एवं अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय की सरसरी तौर पर तलाशी लिवाई गई तो सरकारी दस्तावेजात के अलावा कोई सामान नहीं पाया गया। बाद कार्यवाही परिवादी श्री नवरत्न स्वामी को रुखसत कर मन् एएसपी मय हमराहियान व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता व प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा माल वजह सबूत साथ लेकर बस्सी से रवाना होकर आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता के जालपाली स्थित सरकारी क्वार्टर पहुंच आरोपी के सरकारी क्वार्टर का सरसरी तौर पर अवलोकन किया गया तो क्वार्टर में सामान्य श्रेणी का सामान पाया गया। उक्त मकान में कोई कीमती सामान नहीं पाया गया। बाद अवलोकन उपरोक्त मन् आईओ मय हमराहियान व गिरफ्तार शुदा आरोपी जेईएन व प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा माल वजह सबूत के एसीबी चौकी सीकर पहुँचा। प्रकरण से संबंधित वजह सबूत जमा मालखाना करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत दी जाकर रुखसत किया गया। की गई कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये परिवादी श्री नवरत्न स्वामी वेण्डर एक्वासेल्स कॉरपोरेशन द्वारा श्री मुकेश कुमार के नाम सोलर लाईट लगवाने से संबंधित सोलर मीटर लगाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 11.11.2025 को परिवादी श्री नवरत्न स्वामी से 2500 रुपये बतौर रिश्वत की मांग किया जाना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 12.11.2025 को 2500 रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाया जाता है। उक्त आरोपी श्री संदीप द्विवेदी कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी श्री संदीप द्विवेदी पुत्र श्री गोविन्द दत्त, उम्र-35 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 17, चौधरी कॉलोनी, रोड नं. 14, वी.के.आई. जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है। (विजय कुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर...............कार्यवाही पुलिस...............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संदीप द्विवेदी पुत्र श्री गोविन्द दत्त, उम्र-35 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी मकान नम्बर 17, चौधरी कॉलोनी, रोड नं. 14, वी.के.आई. जयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कनिष्ठ अभियंता अजमेर विध्युत वितरण निगम लिमिटेड बस्सी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में

अनुसंधान श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 276 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1701-04 दिनांक 14.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर 2- सचिव, प्रशासन, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Suresh Chand **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,In
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)